

3.4.25 पशुपती पेढी में ली गई। उभयपक्ष सुना गया।

वाप पशु सहमति अनुसार खीका कर  
डिक्की किया जाता है। विहित नियमि अलग  
से लिखवाया जाकर एडले शणमास सुनाया  
गया। पर्चा डिक्की अलग से जारी है।

पशुपती फैमल सुमार कर काविल कर्त  
ही जारी है।

सहायक कलक्टर  
एव उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ

